कार्यालय चुनाव अधिकारी

श्री अग्रसेन नॉर्थ-एक्स वेलफेयर सोसायटी (पंजी.)

502, पांचवा तल, डी–मॉल, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली–110034

दिनांक : 21 अप्रैल 2022

अधिसूचना – चुनाव 2022

आदरणीय ट्रस्टीगण,

श्री अग्रसेन नॉर्थ–एक्स वेलफेयर सोसायटी (पंजी.) की वार्षिक आमसभा 27 फरवरी, 2022 को सम्पन्न हुई, जिसमें सोसायटी के पदाधिकारियों का चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया गया यह भी निर्णय हुआ कि चुनाव सरकारी संस्था / सेवा निवृत न्यायाधीश से करवाया जायेगा। तत्पश्चात्, मुझे चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया और इसकी पुष्टि सिविल कोर्ट रोहिणी ने की। मैं, **कमलेश कुमार [District & Sessions Judge (Retd.)]** इस पत्र के द्वारा आपको चुनाव की अधिसूचना भेज रहा हूँ जिसका विवरण इस प्रकार है :–

1. चुनाव की तारीख : **रविवार, 22 मई, 2022**
2. वोटिंग का समय : **प्रातः 8.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक**
3. मतगणना की तारीख : **सोमवार 23 मई 2022 – सुबह 8.00 बजे से**
4. चुनाव स्थान तय करने के बाद आपको शीघ्रातिशीघ्र सूचित किया जायेगा।

1. पदाधिकारियों एवं नियंत्रण मंडल के सदस्यों के चुनाव हेतु पदों का विवरण निम्न प्रकार है :–

अ. **पदाधिकारी (कुल बारह पद)** 12

पद	संख्या
प्रधान	1
वरिष्ठ उप–प्रधान	1
उप–प्रधान	4
महामंत्री	2
मंत्री	2
कोषाध्यक्ष	2

Kamlesh Kumar

Scanned by TapScanner

ब. नियंत्रण मंडल के सदस्य (Control Board member)
(कुल बारह पद) 12

नोट नं. 1 सभी पैट्रन ट्रस्टी एवं ट्रस्टी पदाधिकारियों के पद के लिए चुनाव लड़ सकते है तथा मतदान कर सकते है एवं प्रस्ताव व अनुमोदन कर सकते है।

नोट नं. 2 नियंत्रण मंडल (कंट्रोल बोर्ड मेम्बर) के बारह सदस्यों के चुनाव हेतु केवल पैट्रन ट्रस्टी ही चुनाव लड़ सकतें हैं और पैट्रन ट्रस्टी ही नियंत्रण मंडल (कंट्रोल बोर्ड) के पदाधिकारियों के लिए मतदान करने के अधिकारी हैं। इन पदों पर प्रस्ताव एवं अनुमोदन भी पैट्रन ट्रस्टी ही कर सकते हैं।

चुनाव कार्यक्रम

2. पैट्रन ट्रस्टियों और ट्रस्टियों की मतदाता सूची दिनांक 25 अप्रैल 2022 से **चुनाव कार्यालय : 502, पांचवा तल, डी–मॉल, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली–110034** से 4000/– रूपये प्रति सूची (प्रिंटेड फोटोस्टेट कॉपी) एवं साफ्ट कापी पैन ड्राईव में निःशुल्क ले सकते है। यदि पैन ड्राईव चुनाव कार्यालय से प्राप्त करना चाहते है तो 1000/– रूपये अतिरिक्त देने होंगे।

3. नामांकन–पत्र (फार्म) दिनांक 25 अप्रैल 2022 से चुनाव कार्यालय : 502, पांचवा तल, डी–मॉल, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 से प्राप्त किये जा सकते हैं। फार्म की फोटोकापी भी मान्य है।

4. नामांकन–पत्र (फार्म) दिनांक 29 अप्रैल 2022 से दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक चुनाव कार्यालय : 502, पांचवा तल, डी–मॉल, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 में प्रत्याशी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जमा करवा सकेंगे।

5. प्राप्त नामांकन–पत्रों (फार्म) की सूची दिनांक 1 मई 2022 को दोपहर 3.00 बजे *चुनाव अधिकारी कार्यालय के सूचना–पट्ट* पर लगायी जायेगी।

Kamlesh Kr

Scanned by TapScanner

प्राप्त नामांकन–पत्रों (फार्म) पर आपत्तियाँ, यदि कोई है, तो दिनांक 2 मई 2022 को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक सुनी जायेंगी और इसके पश्चात् सांय 5.00 बजे तक नामांकन–पत्रों (फार्म) की जांच की जायेगी।

7. नामांकन–पत्र (फार्म) दिनांक 3 मई 2022 को प्रातः 11.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक वापिस लिये जा सकेंगे। जो प्रत्याशी अपना नामांकन वापिस लेना चाहते है, वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से चुनाव अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना नामांकन वापसी फार्म जमा करवाकर और रजिस्टर में हस्ताक्षर करके नाम वापिस फार्म की रसीद प्राप्त कर सकेगा। यदि किसी प्रत्याशी की दिनांक 3 मई 2022 को कोई मजबूरी है तो वह पहले भी उपस्थित होकर अपना नाम वापिस ले सकता है।

8. चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की वैध सूची दिनांक 3 मई 2022 को सांय 5.00 बजे चुनाव कार्यालय के सूचना–पट्ट पर लगा दी जाएगी।

9. सभी प्रत्याशियों को दिनांक 4 मई 2022 को प्रातः 11.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक चुनाव कार्यालय में चुनाव चिन्ह का आबंटन किया जाएगा।

10. सभी प्रत्याशियों की अंतिम सूची चुनाव चिन्ह सहित दिनांक 4 मई 2022 को सांय 5.00 बजे चुनाव कार्यालय के सूचना–पट्ट पर लगा दी जाएगी।

11. **एक व्यक्ति केवल एक पद के लिए ही नामांकन–पत्र भर सकता है।** यदि कोई प्रत्याशी एक से अधिक पद के लिए नामांकन–पत्र भरेगा तो उसके सभी नामांकन–पत्र स्वतः ही रद्द हो जायेंगे।

12. जो व्यक्ति किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ रहा है वह किसी अन्य पद पर प्रस्तावक / अनुमोदक नहीं बन सकता। यदि ऐसा होगा तो उसके सभी नामांकन–पत्र (फार्म) रद्द हो जायेंगे।

Kamlesh

Scanned by TapScanner

. **एक व्यक्ति एक ही पद के लिए प्रस्तावक/अनुमोदक बन सकता है।** यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पद पर प्रस्तावक/अनुमोदक बनेगा तो उसके सभी नामांकन–पत्र (फार्म) रद्द हो जायेंगे।

14. समस्त कार्य चुनाव अधिकारी कार्यालय द्वारा सम्पन्न किये जायेंगे। **सभी चुने हुए पदाधिकारियों का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा।**

15. चुनाव गुप्त मतदान और **मतपत्र (बैलेट पेपर)** द्वारा ही करवाया जायेगा।

16. सभी पैट्रन ट्रस्टी एवं ट्रस्टी अपनी पहचान के लिए हॉस्पीटल का पहचान पत्र/ड्राइविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/आधार कार्ड अपने साथ अवश्य लायें।

17. सभी मतदाताओं से मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि चुनाव को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने के लिए पूर्ण रूप से सहयोग करें।

18. मतदान केन्द्र में किसी भी प्रकार का **मोबाईल फोन, कैमरा, बैग, घातक हथियार या तरल पदार्थ अथवा अन्य आपत्तिजनक सामग्री लाना वर्जित है** और इसका उल्लंघन करने पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

19. मतदाताओं व प्रत्याशियों को समय–समय पर चुनाव कार्यालय द्वारा आवश्यक निर्देश दिये जाते रहेंगे जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।

Kamlesh Kumar

कमलेश कुमार
[जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली, (से.नि.)]
(चुनाव अधिकारी)

नोट :
1. वैध मतदाता सूची अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तैयार की जायेगी।
2. चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की सूची भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही तैयार की जायेगी।

Scanned by TapScanner